

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- 29 / 2022

तारीखरजु:- 4/2/2022

उनवान:- रामहरि बनाम नमोनारायण

दावा वावत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक फर्द अहकाम

वादी की और से श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट ने दावा घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 08.03.2022 को पेश हो।

81829
4/2/2022

४

(दुर्गा प्रसाद मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

81312 वादी वकील उफ०। प्रतिवादी न० 1, 9, 10 की और से श्री हंसराम गुर्जर एड० ने भीमो पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। शेष प्रतिवादी न० 11, 12 के नोटिस की तामील हो चुकी है। बाबजूद सूचना कोई उफ० नहीं। उक्त के खिलाफ एड तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाली है। एवं शेष प्रतिवादी न० 3 लगा० 8 के नोटिस तामील होकर प्राप्त नहीं हुए है। वास्ते इतना तलबी एवं प्रतिवादी न० 2 की कडम तामील प्राप्त हुई है। वास्ते तलबी एवं वकालतनामा पत्रावली दि० 11.4.22 को पेश हो।



५

11422 वादी वकील उफ०। प्रतिवादी न० 1, 9, 10 की और से श्री हंसराम गुर्जर एड० ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। एवं शेष प्रतिवादी न० 3 लगा० 8 के नोटिस तामील होकर प्राप्त नहीं हुए है। वास्ते जबाब एवं तलबी दि० 18.5.22 को पेश हो।



६

न्यायालय उप जिला कलेक्टर

दिनांक	फर्द अहकाम
10 ¹ / ₂₄	पत्रावली पेश हुई। वकील उग्रपक्षकारान फुन: नोटिस पेश करने के लिए वाडी वकील को डिमाण्ड डी गई। वास्ते तलबी दिनांड 28.2.24 को पेश हो
2	28 ² / ₂₄ वाडी वकील/वकील उग्रपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... <u>युनाव</u> ...की...ट्रेनिंग में जयपुर पधारो पत्रावली गतानुसार दिनांक... <u>4.4.24</u> को पेश हो। 
3	4.4.24 वाडी वकील/वकील उग्रपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... <u>युनाव</u> ...की...ट्रेनिंग में पत्रावली गतानुसार दिनांक... <u>1.5.24</u> को पेश हो। 
1	15 ⁵ / ₂₄ पत्रावली पेश हुई। वकील उग्रपक्षकारान उग्र वास्ते तलबी एवं जबाब पेश करने दिनांड 16.5.24 को पेश हो
16.5.24	पत्रावली पेश हुई। वाडी गण सुब वाडी पक्ष कोई उपस्थित नहीं हुआ। बाबू - वार भाषाजि डिमांड गइ इसके उपरावली में कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसलिये वाडी का उग्र दावा काइम पेशी सुब काइम डालरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैशाल के माट डी नम्बर ले कम जट दाखिल डफर हो। 